"पीएफसी के निगमित कार्यालय भवन "ऊर्जानिधि", 1, बाराखंबा लेन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 के विभिन्न वाशरूमों में मौजूदा जीआई पाइप लाइन को सीपीवीसी पाइप लाइन से प्रतिस्थापित करने के लिए निविदा"

सामान्य क्रय शर्तें

(खंड - जीपीसी)

अनुलग्नक – **I**

संदर्भ सं. 02:12:217: I: 2018: सीपीवीसी पाइप लाइन

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

निगमित कार्यालय : "ऊर्जानिधि", 1, बाराखंबा लेन, कनॉट प्लेस,

नई दिल्ली – 110001

खंड – जीपीसी

सामान्य क्रय शर्तें

1.0 शब्दों की परिभाषा

1.1 'ठेके' से अभिप्राय है कि पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित ठेका करार के अनुसार स्वामी और ठेकेदार के बीच निष्पादित करार एवं सभी संलग्नकों और उनके परिशिष्टों तथा इनमें संदर्भ द्वारा शामिल किए गए सभी दस्तावेज़।

1.2 स्वामी से अभिप्राय है - पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली, भारत (भारत सरकार का उपक्रम) जिसका निगमित कार्यालय "ऊर्जानिधि", 1, बाराखंबा लेन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली – 110001 तथा इसमें इनके कानूनी प्रतिनिधि, उत्तराधिकारी और अधिन्यासी शामिल होंगे।

1.3 'ठेकेदार' या 'विनिर्माता' से अभिप्राय है - वह बोलीदाता जिसकी बोली स्वामी द्वारा कार्यों को अवॉर्ड करने के लिए स्वीकार की जाएगी और इसमें सफल बोलीदाता के कानूनी प्रतिनिधि, उत्तराधिकारी और अनुमत अधिन्यासी शामिल होंगे।

1.4 'उप-ठेकेदार' से अभिप्राय है - कार्य के किसी भाग के लिए ठेके में उल्लिखित व्यक्ति के नाम अथवा कोई व्यक्ति जिसे ठेके का कोई भाग इंजीनियर की लिखित सहमति से ठेकेदार द्वारा उप-किराए पर दिया गया है और इन व्यक्तियों में कानूनी प्रतिनिधि, उत्तराधिकारी और अनुमत अधिन्यासी शामिल होंगे।

1.5 'इंजीनियर' से अभिप्राय है - स्वामी द्वारा ठेके के लिए समय-समय पर इंजीनियर के रूप में कार्य करने के लिए स्वामी द्वारा लिखित में नियुक्त अधिकारी।

1.6 'कंसल्टिंग इंजीनियर/कंसल्टेंट' से अभिप्राय है - स्वामी द्वारा समय-समय पर विधिवत रूप से नियुक्त कोई फर्म या व्यक्ति।

1.7 'उपकरण', 'भंडार' या 'सामग्री' से अभिप्राय है - ठेके के अंतर्गत ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले उपकरण, भंडार या सामग्री।

1.8 'कार्य' से अभिप्राय है - कार्यस्थल पर उपकरण/सामग्री प्रदान करना और यदि अपेक्षित हो तो उतराई, भंडारण, कार्यस्थल पर संभाल, इरेक्शन, परीक्षण एवं चालू करने का पर्यवेक्षण करना और ठेके में यथा परिभाषित अनुसार संतोषजनक ढंग से प्रचालन शुरू करना।

1.9 'विनिर्देशों' से अभिप्राय है - ठेके का भाग बनने वाले विनिर्देश और बोली दस्तावेज और ऐसी अन्य सूचियां और ड्राइंग जिन पर परस्परिक रूप से सहमति दी जाए।

1.10 'कार्यस्थल' से अभिप्राय है - वह भूमि और अन्य स्थान, जिसमें अथवा जिसके माध्यम से कार्य और संबद्ध सुविधाएं स्थापित या संस्थापित की जानी हैं और उससे सटी हुई कोई भूमि, पथ, गली अथवा जलाशय जो ठेके के निष्पादन में स्वामी अथवा ठेकेदार द्वारा आबंटित अथवा प्रयोग की जाएगी।

1.11 'ठेका कीमत' से अभिप्राय है - कार्य के संपूर्ण कार्यक्षेत्र के लिए अवॉर्ड-पत्र में शामिल और बढ़ाने और/अथवा घटाने (Additions and/or deletions) सहित जैसी सहमति दी जाए, ठेकेदार द्वारा अपनी बोली में उद्धृत कीमत

1.12 'विनिर्माता के कार्य' अथवा 'ठेकेदार के कार्य' से अभिप्राय है - ठेके के निष्पादन के लिए विनिर्माता, ठेकेदार, उनके सहयोगियों/संबद्धों अथवा उप-ठेकेदार द्वारा प्रयोग किए गए कार्य का स्थल।

1.13 'निरीक्षक' से अभिप्राय है कि ठेके के अंतर्गत उपकरण, भंडार अथवा कार्य का निरीक्षण करने के लिए समय-समय पर स्वामी अथवा स्वामी द्वारा नामित कोई व्यक्ति और/अथवा स्वामी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि।

1.14 'ठेके के अवॉर्ड की सूचना'/'अवॉर्ड-पत्र'/'अवॉर्ड टेलेक्स' से अभिप्राय है - स्वामी द्वारा ठेकेदार को जारी सरकारी नोटिस, जिसमें यह सूचित किया गया हो कि उसकी बोली स्वीकार कर ली गई है।

1.15 'ठेके की तारीख' से अभिप्राय है – जिस तारीख को ठेके के अवॉर्ड की सूचना/अवॉर्ड-पत्र जारी किया गया है।

1.16 'माह' से अभिप्राय है कैलेंडर माह। इसका अभिप्राय, जब तक यह इसमें अन्यथा स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया जाए 'दिन' अथवा 'दिवस' से कैलेंडर दिन या प्रत्येक 24 घंटों के दिन से होगा।

एक 'सप्ताह' से अभिप्राय है कि 7 (सात) दिनों की लगातार अवधि।

1.17 'लिखित' से अभिप्राय है कि कोई हस्तलिखित, टाइप किया हुआ लिखित अथवा मुद्रित विवरण, हस्ताक्षरित और/अथवा मुहरबंद (जैसा भी मामला हो) हो।

1.18 जब 'अनुमोदित', 'अनुमोदन के अध्यधीन', 'संतोषजनक', 'के समान', 'उचित', 'अनुरोध किया गया', 'यथा निदेशित', 'जहां निदेशित', 'जब निदेशित किया गया' 'के द्वारा निर्धारित', 'स्वीकृत', 'अनुमत' शब्द अथवा इसी प्रकार के वाक्यांश प्रयोग किए जाते हैं तो अनुमोदन, निर्णय, निदेश आदि को स्वामी/इंजीनियर का कार्य समझा जाएगा।

1.19 कार्य पूरा होने पर परीक्षण से अभिप्राय है - ठेके में निर्धारित ऐसे परीक्षण जो स्वामी द्वारा कार्य को अपने हाथ में लेने से पहले ठेकेदार द्वारा निष्पादित किए जाएंगे।

1.20 'स्टार्ट अप' से अभिप्राय है - निर्माण के अनिवार्यतः पूरा होने पर ठेके के अंतर्गत आने वाले उपकरण को किसी निष्क्रिय स्थिति से प्रचालन परीक्षण (ट्रायल) के लिए तैयार स्थिति में लाने हेतु अपेक्षित समय अवधि। स्टार्ट-अप अवधि में प्रारंभिक निरीक्षण और उपकरण और सहायक उप-प्रणाली की जांच, आवश्यक पूर्व-परीक्षण डाटा प्राप्त करने के लिए ठेके के अंतर्गत शामिल संपूर्ण उपकरण का प्रारंभिक प्रचालन, केलिब्रेशन और सुधारात्मक कार्रवाई करना, बंद करना, निरीक्षण और परीक्षण प्रचालन अवधि से पूर्व समायोजन शामिल हैं।

1.21 'प्रारंभिक प्रचालन' से अभिप्राय है - सेवा (सर्विस) में अथवा सेवा (सर्विस) के लिए उपलब्ध उप-प्रणाली और सहायक उपकरण सहित ठेके के अंतर्गत शामिल संपूर्ण उपकरण का प्रथम आवश्यक प्रचालन।

1.22 'परीक्षण प्रचालन', 'विश्वसनीयता परीक्षण', 'पूर्व परीक्षण (ट्रायल रन)', 'पूर्णता परीक्षण' से अभिप्राय है - स्टार्ट अप अवधि के बाद बढ़ाई गई समयावधि। इस परीक्षण प्रचालन अवधि के दौरान यूनिट को अधिकतम भार सीमा (फुल लोड रेंज) पर प्रचालित किया जाएगा। जब तक अन्यथा ठेके में परीक्षण प्रचालन की अवधि कहीं और निर्दिष्ट न किया जाए तब तक यह इंजीनियर द्वारा निर्धारित की जाएगी ।

1.23 'निष्पादन एवं गारंटी परीक्षण' से अभिप्राय है - ठेका दस्तावेजों में यथा निर्दिष्ट क्षमता, दक्षता, और प्रचालनगत विशिष्टताएं निर्धारित करने और प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक सभी जांच और परीक्षण।

1.24 'अंतिम स्वीकृति' से अभिप्राय है - तकनीकी विनिर्देशों में यथानिर्दिष्ट या अन्यथा ठेके में सहमत निष्पादन और गारंटी परीक्षणों की सफलतापूर्वक कमीशनिंग/पूरा होने के बाद ठेके के अंतर्गत निष्पादित कार्यों की स्वामी द्वारा लिखित स्वीकृति।

1.25 'वाणिज्यिक प्रचालन' से अभिप्राय है - प्रचालन की स्थिति जिसमें स्वामी द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित किया जाए कि ठेके के अंतर्गत शामिल संपूर्ण उपकरण निर्धारित क्षमता तक और विभिन्न भारों (लोड) पर लगातार प्रचालन के लिए उपलब्ध है। तथापि, स्वामी द्वारा इस प्रकार

की घोषणा से ठेकेदार ठेके के अंतर्गत अपने दायित्वों से मुक्त नहीं होगा या उसे नुकसान नहीं होगा।

1.26 'वारंटी अवधि'/'अनुरक्षण अवधि' से अभिप्राय है - वह अवधि जिसमें ठेकेदार ठेके के अंतर्गत निष्पादित कार्यों की मरम्मत अथवा किसी त्रुटिपूर्ण भाग को बदलने के लिए उत्तरदायी होगा।

1.27 'निहित त्रुटि' से अभिप्राय है कि ऐसी त्रुटियाँ जो त्रुटिपूर्ण डिजाइन, सामग्री अथवा वर्कमेनशिप के कारण हुई हों और जिसका इस प्रकार के परीक्षण करने के लिए उपलब्ध प्रौद्योगिकी के आधार पर निरीक्षण, जांच आदि के दौरान पता नहीं लगाया जा सके।

2.0 बोली प्रस्तुत करना

2.1 बोली की सम्पूर्ण प्रक्रिया https://www.tcil-india-electronictender.com पर ई-खरीद/ई-टेंडर के माध्यम से की जाएगी। यदि मदों से संबंधित कोई ब्रोशर/विनिर्देश अपेक्षित हैं तो इस प्रकार के मामलों में उनकी स्कैन की हुई प्रति तकनीकी बोलियों में अपलोड की जाएगी। उपर्युक्त वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रस्तुत की गई बोलियों पर ही विचार किया जाएगा।

3.0 बोलियों में हस्ताक्षर

3.1 बोली में बोली लगाने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों का नाम और व्यवसाय अवश्य होना चाहिए और वह बोलीदाता द्वारा उसके सामान्य हस्ताक्षर के साथ हस्ताक्षरित और सील की हुई हो। हस्ताक्षर करने वाले सभी व्यक्तियों के नाम भी हस्ताक्षर के नीचे टाइप अथवा मुद्रित होने चाहिएं।

3.2 किसी भागीदारी द्वारा की गई बोली में सभी भागीदारों के पूरे नाम हों, भागीदार के नाम सहित हस्ताक्षर हों, उसके बाद प्राधिकृत भागीदार (भागीदारों) अथवा अन्य प्राधिकृत प्रतिनिधि (प्रतिनिधियों) के हस्ताक्षर और पदनाम हों।

3.3 निगम/कंपनी द्वारा की गई बोली अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, कंपनी सचिव अथवा इस मामले में निगम/कंपनी की ओर से बोली के लिए प्राधिकृत अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा निगम/कंपनी के कानूनी नाम के साथ हस्ताक्षरित हो।

3.4 बोली के साथ बोलीदाता की ओर से हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के प्राधिकार संबंधी संतोषजनक साक्ष्य दिए जाएं।

3.5 प्रस्ताव पर उल्लिखित बोलीदाता का नाम फर्म का यथावत कानूनी नाम होगा।

4.0 बोलियों को सील करना और मार्क करना

4.1 निविदा लागत शुल्क और ईएमडी वाले बैंकर चेक/डिमांड ड्राफ्ट के लिफाफे पर बोलीदाता का नाम और पता लिखा हो ताकि यदि यह ''विलंब'' अथवा ''अस्वीकृत'' घोषित किया जाता है तो इस लिफाफे को खोले बिना ही वापस किया जा सके। लिफाफे पर निविदा का नाम, संदर्भ संख्या और ''दिनांक .....'' से पहले न खोलें'' लिखा होना चाहिए।

4.2 यदि बाहर वाला लिफाफा उपर्युक्त के अनुसार सील और मार्क नहीं किया हुआ है तो बोली के गुम हो जाने अथवा समय से पहले खोले जाने के लिए स्वामी जिम्मेदार नहीं होगा।

5.0 बोली प्रस्तुत करने की समय-सीमा

5.1 फ़ैक्स/टेलीग्राम/हार्ड कॉपी (फिजिकल फॉर्म) द्वारा भेजी गई बोली स्वीकार नहीं की जाएगी। एयरलाइंस, कार्गो एजेंट आदि से प्रस्ताव लाने के लिए बोलीदाता द्वारा स्वामी को किया गया कोई अनुरोध स्वामी द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

5.2 निविदा लागत/शुल्क और बोली की ईएमडी के बैंकर चेक/डिमांड ड्राफ्ट के साथ बोलीदाताओं द्वारा सृजित पास फ्रेज (PASS PHRASE) वाले लिफाफे आमंत्रण बोली में उल्लिखित तारीख और समय से पहले उपर्युक्त पते पर स्वामी को अवश्य प्राप्त हो जाएं।

5.3 स्वामी अपने विवेक पर बोली/आरएफ़पी के लिए आमंत्रण को संशोधित करके बोली प्रस्तुत करने के लिए इस समय-सीमा को बढ़ा सकता है। इन मामलों में स्वामी और बोलीदाताओं के सभी अधिकार और दायित्व जोकि पिछली समय-सीमा के अधीन थे, वे बढ़ाई गई समय-सीमा के अधीन होंगे।

6.0 देरी से प्राप्त बोलियां

6.1 निविदा लागत/शुल्क और बोली की ईएमडी के बैंकर चेक/डिमांड ड्राफ्ट के साथ बोलीदाताओं द्वारा सृजित पास फ्रेज (PASS PHRASE) वाले लिफाफे स्वामी को निर्धारित समय और तारीख अथवा बोली प्रस्तुत करने के लिए बढ़ाई गई समय-सीमा के पश्चात प्राप्त होते हैं तो उन्हें अस्वीकृत कर दिया जाएगा और/अथवा खोले बिना ही बोलीदाता को वापस कर दिया जाएगा।

7.0 बयाना जमा राशि (ईएमडी)/बोली गारंटी

7.1 प्रत्येक बोली के साथ 10,000/-रुपए की बोली गारंटी होगी, जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा किसी प्रतिष्ठित वाणिज्यिक बैंक की ओर से नई दिल्ली में देय पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चेक के रूप में अथवा परिशिष्ट-III के अनुसार संलग्न प्रपत्र में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के पक्ष में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक, अथवा किसी प्रतिष्ठित वाणिज्यिक बैंक द्वारा जारी अप्रतिसंहरणीय बैंक गारंटी के रूप में होगी।

7.2 कोई बोली, जिसमें बोली गारंटी नहीं है तो उस बोली को अननुक्रियाशील (non-responsive) के रूप में स्वामी द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

7.2.1 असफल बोलीदाता की बोली गारंटी सफल बोलीदाता द्वारा क्रय आदेश की बिना शर्त स्वीकृति के बाद वापस कर दी जाएगी।

7.2.2 सफल बोलीदाता की बोली गारंटी, निर्धारित प्रपत्र में ठेका निष्पादन गारंटी को उक्त बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत किए जाने और इसे स्वीकार किए जाने के बाद वापस कर दी जाएगी।

7.2.3 बोली गारंटी को कोई नोटिस अथवा क्षति का प्रमाण आदि दिए बिना जब्त किया जा सकता है :

(क) बोली प्रपत्र पर बोलीदाता द्वारा विनिर्दिष्ट बोली वैधता की अवधि के दौरान यदि कोई बोलीदाता अपनी बोली को वापस लेता है

अथवा

(ख) सफल बोलीदाता के मामले में यदि बोलीदाता निम्नलिखित कार्य करने में असफल रहता है :

(i) अवॉर्ड पूर्व विचार-विमर्श के दौरान बिना शर्त हुए करारों को शामिल करते हुए अवॉर्ड-पत्र/क्रय आदेश को स्वीकार करने में,

(ii) खंड 29.0 के अनुसार ठेका निष्पादन गारंटी देने में।

7.2.4 उपर्युक्त बोली गारंटी पर स्वामी द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।

8.0 बोलियों में संशोधन और बोलियों को वापस लेना

8.1 बोली प्रस्तुत करने की समय-सीमा के बाद बोली में कोई संशोधन नहीं किया जाएगा।

8.2 बोली प्रपत्र पर बोलीदाता द्वारा बोली प्रस्तुत करने की समय-सीमा और बोलीदाता द्वारा विनिर्दिष्ट बोली वैधता अवधि समाप्त होने के बीच की अवधि में कोई बोली वापस नहीं ली जा जाएगी। इस अंतराल के दौरान किसी बोली को वापस लेने/संशोधित करने पर बोली जमानत राशि जब्त कर ली जा जाएगी।

9.0 बोली की भाषा

9.1 बोलीदाता द्वारा तैयार की गई बोली और बोलीदाता और स्वामी के बीच हुए बोली से संबंधित सभी पत्राचार और दस्तावेज़ अंग्रेजी भाषा में लिखे जाएंगे बशर्ते बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत कोई मुद्रित साहित्य दूसरी भाषा में लिखा हो, तब तक इसके संबंधित पैरा का अंग्रेजी अनुवाद साथ

लगाया जाएगा। इसका अनुपालन न करने पर बोली अस्वीकार की जा सकती है। बोली की व्याख्या के प्रयोजन के लिए अंग्रेजी अनुवाद मान्य होगा।

10.0 प्रस्ताव के साथ अपेक्षित सूचना

10.1 यदि आवश्यक हो तो स्कैन की गई प्रतियों के रूप में तकनीकी बोली के साथ निम्नलिखित सूचना अपेक्षित होगी।

10.2 बोलीदाता द्वारा संपूर्ण सूचना अलग शीटों, ड्राइंगों, सूचीपत्र आदि के रूप में प्रदान की जाएगी।

10.3 उपकरण अथवा किसी अन्य मामले में गुणवत्ता, मात्रा या व्यवस्था के संबंध में बोलीदाता द्वारा किसी भी समय दिए गए मौखिक विवरणों पर विचार नहीं किया जाएगा।

10.4 बोलीदाता को आवश्यक लगने वाली अतिरिक्त सूचना और डाटा उपलब्ध कराने के लिए बोली में बोलीदाता के मानक सूचीपत्र पृष्ठ और अन्य दस्तावेज़ प्रयोग किए जा सकते हैं।

10.5 'बोली प्रस्ताव' सूचना आरएफ़पी आवश्यकताओं के विरोधाभासी होने पर, जब तक अन्यथा तकनीकी/वाणिज्यिक विचलन सूचियों में स्पष्टतः उल्लेख न किया जाए तो उस स्थिति में आरएफ़पी आवश्यकताएं मान्य होंगी

11.0 स्वामी द्वारा बोलियां खोला जाना

11.1 बोलियों के आमंत्रण में यथाविनिर्दिष्ट बोली प्राप्ति के लिए निर्धारित अंतिम तारीख के बाद किसी भी तारीख को अथवा सभी बोलीदाताओं के लिए बोली प्रस्तुत करने के लिए बढ़ाई गई अधिसूचित तारीख के पश्चात उसमें दी गई समय-सीमा को बढ़ाया जाता है तो इस मामले में स्वामी द्वारा ई-निविदा के माध्यम से बोलियां खोली जाएंगी।

11.2 बोलीदाताओं के नाम, बोली कीमत, परिवर्तन, बोली वापस लेने और अपेक्षित बैंक गारंटी का होना अथवा न होना और इस प्रकार के अन्य ब्योरे, जैसा कि स्वामी अपने विवेक से उपयुक्त समझे, बोली खोलने के दौरान घोषित किए जाएंगे।

11.3 बोली खोलने की प्रक्रिया के दौरान किसी इलेक्ट्रोनिक रिकॉर्डिंग उपकरण की अनुमति नहीं होगी।

12.0 बोलियों का स्पष्टीकरण

12.1 बोलियों की जांच, मूल्यांकन और तुलना में सहायता करने हेतु स्वामी अपने विवेकानुसार बोलीदाताओं को उनकी बोलियों के स्पष्टीकरण के लिए कह सकता है। स्पष्टीकरण के लिए अनुरोध और उसका उत्तर लिखित में होगा और बोली की कीमत अथवा विषय-वस्तु में कोई परिवर्तन करने की मांग, प्रस्ताव अथवा अनुमति नहीं दी जाएगी।

13.0 प्रारंभिक जांच

13.1 स्वामी यह निर्धारित करने के लिए जांच करेगा कि क्या बोलियां पूर्ण हैं, गणना संबंधी कोई गलती नहीं की गई है, अपेक्षित जमानत दे दी गई है, दस्तावेज़ उचित तरीके से हस्ताक्षरित हैं, और बोलियां समान्यतः क्रम में हैं।

13.2 गणित संबंधी गलतियों को निम्नलिखित आधार पर सुधारा जाएगा : यदि यूनिट कीमत और कुल कीमत, जो यूनिट कीमत को मात्रा से गुणा करके प्राप्त की गई है, के बीच कोई विसंगति है तो यूनिट कीमत लागू होगी और कुल कीमत को सही किया जाएगा। यदि शब्दों और अंकों के बीच कोई विसंगति है तो शब्दों में लिखी गई राशि लागू होगी। यदि बोलीदाता उपर्युक्त गलतियों में किए गए सुधार को स्वीकार नहीं करता है तो उसकी बोली अस्वीकृत कर दी जाएगी और बोली गारंटी की राशि जब्त हो जाएगी।

13.3 बोलीदाता को सुनिश्चित करना चाहिए कि विभिन्न अनुसूचियों में दी गई कीमतें एक दूसरे के संगत हों। यदि इस प्रयोजन के लिए बोली प्रपत्र में अभिचिन्हित की जाने वाली विनिर्दिष्ट कीमत अनुसूचियों में दी गई कीमतों में कोई असंगतता है तो स्वामी मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए सबसे अधिक कीमत और ठेका अवॉर्ड करने के लिए इन अनुसूचियों में सबसे कम वाली कीमतों पर विचार करने का हकदार होगा।

13.4 विस्तृत मूल्यांकन से पहले, स्वामी आरएफ़पी के लिए प्रत्येक बोली की पर्याप्त अनुक्रियाशीलता निर्धारित करेगा। इन खंडों के प्रयोजन के लिए पर्याप्त अनुक्रियाशील (Responsive) उन बोलियों में से एक वह है जो बिना महत्वपूर्ण विचलन के आरएफ़पी की सभी निबंधन और शर्तों के अनुरूप है। एक महत्वपूर्ण विचलन (Material deviation) वह है जो कीमतों, गुणवत्ता, मात्रा अथवा सुपुर्दगी अवधि अथवा वे सीमाएं जो किसी भी तरीके से इन आरएफ़पी दस्तावेजों और विनिर्देशों में यथापेक्षित स्वामी के किसी अधिकार के लिए बोलीदाता के उत्तरदायित्वों अथवा देयताओं को किसी प्रकार से प्रभावित करती है। किसी बोली की अनुक्रियाशीलता (Responsiveness) के लिए स्वामी का निर्धारण गौण साक्ष्य का सहारा लिए बिना बोली की विषय-वस्तु पर आधारित होगा।

13.5 पर्याप्त रूप से अनुक्रियाशील (Responsive) न होने वाली निर्धारित बोली स्वामी द्वारा अस्वीकृत कर दी जाएगी और बाद में बोलीदाता द्वारा गैर-अनुरूपता को सही करके उसे अनुक्रियाशील नहीं बनाया जाएगा।

14.0 कीमत

14.1 बोलीदाता आदेश का पूर्ण रूप से निष्पादन होने तक निश्चित कीमत की दर सूची देगा।

14.2 बोलीदाता एफ़ओआर गंतव्य (डेस्टिनेशन) आधार पर दर सूची देगा इसमें पैकिंग, फोर्वर्डिंग, माल भाड़ा, बीमा प्रभार, कर एवं शुल्क, संस्थापना प्रभार, परीक्षण और कमीशनिंग प्रभार आदि, यदि कोई हो, शामिल हैं।

14.3 बोलीदाता सभी सामग्रियों और सेवाओं (यदि कोई हो) के लिए मद-वार, यूनिट और लॉट कीमत की दर सूची देगा।

15.0 कर एवं शुल्क

15.1 सभी बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे भारत में प्रचलित कानूनों, नियमों और विनियमों के बारे में जानें और अपने प्रस्ताव तैयार और प्रस्तुत करते समय उन पर विचार करें।

15.2 वस्तुओं, उपकरणों, कंपोनेंट, सब-असेंबली, कच्चे माल और उनकी खपत के लिए प्रयोग की गई किसी अन्य मद अथवा ठेकेदार या उनके उप-आपूर्तिकर्ता द्वारा स्वामी को सीधे प्रेषित की गई मदों पर बोलीदाता द्वारा सभी देय सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, जीएसटी, श्रम कल्याण उपकर और अन्य लेवियां बोली कीमत में शामिल की जाएंगी और इस प्रकार अन्य कर, शुल्क, अतिरिक्त लेवियां बोलीदाता के लिए देय होंगी और स्वामी द्वारा इसके लिए किसी अलग दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

15.3 ठेकेदार ठेके के अनुसरण में स्वामी अथवा ठेकेदार के निमित्त कानूनी रूप से मूल्यांकित सभी गैर-भारतीय करों, शुल्क, लेवियों के लिए उत्तरदायी होगा और भुगतान करेगा। ठेकेदार की व्यक्तिगत आय और संपत्ति पर कर देयता, यदि कोई हो, ठेकेदार द्वारा वहन की जाएगी और भारत के कर कानूनों के अनुसार यह ठेकेदार का उत्तरदायित्व होगा।

15.4 पीएफसी ठेके के अंतर्गत ठेकेदार को देय सभी भुगतानों से भारतीय कानूनों के अनुसार स्रोत पर लागू कर कटौती (यदि कोई हो) करने का हकदार होगा।

15.5 भारतीय आयकर, आयकर पर सरचार्ज और अन्य निगमित कर के संबंध में, पीएफसी कोई कर देयता (कोई भी हो) वहन नहीं करेगा चाहे ठेके का तरीका कोई भी हो। इस प्रकार के सभी करों के लिए ठेकेदार उत्तरदायी होगा और भुगतान करेगा यदि ये कानून के प्रावधानों के अंतर्गत लगाए गए हैं। इस संबंध में, ठेकेदारों का ध्यान भारतीय आयकर अधिनियम के प्रावधानों और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए परिपत्रों की ओर आकर्षित किया जाता है।

15.6 यदि करों/शुल्क/लेवियों (इसमें इसके पश्चात इसे 'कर' कहा जाएगा) की दरें बढ़ाई या घटाई जाती हैं, कोई नया कर लगाया जाता है, कोई मौजूदा कर हटाया जाता है या ठेके के निष्पादन के दौरान किसी कर की व्याख्या अथवा प्रयोज्यता में कोई परिवर्तन होता है और जिसका ठेके के

निष्पादन के संबंध में आकलन किया गया अथवा आकलन किया जाएगा तो ऐसे परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए ठेका कीमत में वृद्धि या कमी, जैसा भी मामला हो, करके ठेका कीमत का पूरी तरह समायोजन किया जाएगा। तथापि, ये समायोजन स्वामी और ठेकेदार के बीच प्रत्यक्ष लेन-देन तक सीमित होंगे और ठेकेदार द्वारा कंपोनेंट/उत्पादों/सेवाओं आदि की खरीद पर नहीं होंगे और उप-विक्रेता (सब-वेंडर) से सीधे कार्यस्थल के लिए खरीदी गई प्रेषित मदों पर भी लागू नहीं होंगे।

16.0 बीमा

16.1 बोलीदाता अपने खर्चे पर सभी बीमा की व्यवस्था करेगा, सुरक्षित करेगा और बनाए रखेगा जो कानून के संदर्भ में सभी जोखिमों के निमित्त उसके हित और स्वामी के हितों की रक्षा करने के लिए उपयुक्त और बाध्यकर हों। जब तक स्वामी द्वारा उपकरण/सामग्रियों को अपने अधिकार में नहीं लिया जाता है तब तक हर समय पर्याप्त बीमा कवरेज बनाए रखने की ज़िम्मेदारी अकेले विक्रेता की होगी। बोलीदाता द्वारा लिए जाने वाले बीमा कवर स्वामी के नाम पर होंगे। तथापि, विक्रेता बीमा कंपनी से सीधे बात करने के लिए प्राधिकृत होगा।

16.2 ठेके के अंतर्गत उपकरण/सामग्री के खरीदार के वेयरहाउस में पहुँचने के बाद 60 दिनों तक संभाल, लाने-ले जाने के दौरान उपकरण/सामग्री की कोई हानि या नुकसान की भरपाई विक्रेता करेगा। विक्रेता द्वारा ली जाने वाली बीमा पॉलिसी वेयरहाउस से वेयरहाउस आधार पर होगी और क्रय आदेश में यथानिर्धारित विक्रेता के प्रेषिती द्वारा सामग्री की प्राप्ति के बाद 60 दिनों तक वैध होगी। सभी दावे पेश करने की और क्षतिग्रस्त अथवा गुम हुई सामग्री की मरम्मत और/अथवा बदलकर क्षतियों अथवा हानियों की पूर्ति ज़िम्मेदारी विक्रेता की होगी। हक के हस्तांतरण के परिणामस्वरूप ठेके की अवधि के दौरान बोलीदाता को उपर्युक्त जिम्मेदारियों से किसी भी प्रकार मुक्त नहीं किया जाएगा।

16.3 विक्रेता द्वारा लिए जाने वाले अपेक्षित बीमा में सभी जोखिम कवर होंगे जिनमें युद्ध, हड़ताल, दंगे और नागरिक अशांति आदि शामिल हैं। इस प्रकार के बीमा का कार्यक्षेत्र कार्यस्थल पर डिलीवर की गई सामग्रियों की प्रतिस्थापना/पुनः संस्थापन लागत को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा। बीमा कवर की सीमा होने के बावजूद अंडरराइटर से उपलब्ध दावे की राशि और निम्न अंडरराइटरों से उपलब्ध दावे का समय, स्वामी की आवश्यकताओं के अनुसार पूर्ण उपलब्धता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी विक्रेता की होगी।

17.0 बोली मुद्राएं

17.1 कीमतें केवल भारतीय रुपए (रुपए) में उद्धृत की जाएंगी।

18.0 बोलियों की वैधता की अवधि

18.1 बोलियां बोली खोलने के लिए निर्धारित तारीख के पश्चात 120 दिन की अवधि के लिए स्वीकृति हेतु वैध और खुली रहेंगी।

19.0 बोली खोलना – ई – प्रापण

19.1 यदि बोलीदाता द्वारा निर्धारित तारीख और समय से पहले बोली गारंटी, एनएसआईसी/एमएसएमई प्रमाणपत्र, वैध पासफ्रेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, तो उसकी बोली नहीं खोली जाएगी। क्रेता/खरीदार यह निर्धारित करने के लिए सभी अन्य बोलियों की जांच करेगा कि क्या वे पूर्ण हैं, अपेक्षित बोली गारंटियां दे दी गई हैं, दस्तावेज़ उचित ढंग से अपलोड कर दिए गए हैं और क्या बोलियां सामान्यतः क्रम में हैं।

20.0 प्रक्रिया को गोपनीय रखना

20.1 बोलियों की जांच की प्रक्रिया, स्पष्टीकरण, मूल्यांकन और तुलना में, और ठेके अवॉर्ड करने से संबंधित निर्णयों में बोलीदाता द्वारा खरीदार को प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है तो उसकी बोली को रद्द किया जा सकता है।

21.**0** गलतियों को सुधारना

21.1 सब-सीक्वेंसियली अनुक्रियाशीलता (Responsive) के लिए निर्धारित की गई बोलियों की गणना और सार में किसी गणितीय गलती की जांच क्रेता/खरीदार द्वारा की जाएगी और क्रेता/खरीदार द्वारा गलतियों में निम्नानुसार सुधार किया जाएगा ;

क) यदि शब्दों और अंकों की राशि के बीच कोई विसंगति है तो शब्दों में दी गई राशि मान्य होगी।

ख) यदि यूनिट दर और यूनिट दर को मात्रा से गुना करने पर प्राप्त हुई कुल राशि के बीच कोई विसंगति है तो उद्धृत यूनिट दर मान्य होगी, जब तक कि क्रेता/खरीदार का मत हो कि यूनिट दर में स्पष्ट रूप से दशमलव बिंदु नहीं लगाया गया है तो उस स्थिति में उद्धृत कुल राशि मान्य होगी और यूनिट दर सही की जाएगी।

21.2 बोली प्रपत्र में उल्लिखित राशि को गलतियों को सुधारने के लिए उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार क्रेता/खरीदार द्वारा समायोजित किया जाएगा और बोलीदाता के लिए बाध्यकर मानी जाएगी। यदि बोलीदाता बोली की सही की गई राशि को स्वीकार नहीं करता है तो उसकी बोली अस्वीकृत कर दी जाएगी और बोली गारंटी जब्त कर ली जाएगी।

22.0 समय अनुसूची

22.1 कार्य पूरा करने के लिए अनुमत अवधि कार्य शुरू करने के लिखित आदेश के **7** वें दिन से **90** दिनों के भीतर होगी।

23.0 बोलियों का मूल्यांकन एवं तुलना

23.1 उपर्युक्त खंड 14.0 के अनुसार बोली दस्तावेजों की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त अनुक्रियाशील निर्धारित की गई बोलियों का मूल्यांकन और तुलना क्रेता/खरीदार द्वारा की जाएगी।

23.2 बोलियों का मूल्यांकन करते समय, नियोक्ता बोली कीमत को निम्नानुसार समायोजित करके प्रत्येक बोली के लिए मूल्यांकित बोली कीमत निर्धारित करेगा :

क) खंड 14.0 के अनुसार, गलतियों में कोई सुधार करना

ख) अनंतिम राशि को छोडकर

ग) खंड 13 में अनुक्रियाशीलता (Responsiveness) के अधीन किसी अन्य स्वीकार्य मात्रात्मक विचलन के लिए उचित समायोजन करना

23.3 बोलीदाता विनिर्देशों में निर्दिष्ट भुगतान अनुसूचियों के लिए अपनी बोली कीमत बताएगा। बोलियों का मूल्यांकन इस आधार कीमत (बेस प्राइस) के आधार पर किया जाएगा।

23.4 क्रेता/खरीदार के पास प्रस्तुत किए गए किसी अंतर, विचलनों अथवा विकल्पों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार है। प्रस्तुत किए गए अंतर, विचलन, वैकल्पिक प्रस्ताव और अन्य कारक बोली-प्रक्रिया दस्तावेजों की आवश्यकताओं से अधिक हैं या अन्यथा क्रेता/खरीदार को अनचाहे लाभ पहुचातें है, बोली मूल्यांकन में उन पर विचार नहीं किया जाएगा।

23.5 क्रेता/खरीदार, बोलीदाता और उप-आपूर्तिकर्ता के बीच लेन-देन पर कानूनी रूप से देय जीएसटी, श्रम कल्याण उप-कर और अन्य लेवियों पर बोली मूल्यांकन के लिए विचार किया जाएगा।

23.6 बोली मूल्यांकन उद्धृत कुल कीमत के आधार पर किया जाएगा को और क्रेता/खरीदार को न्यूनतम मूल्यांकित लागत के आधार पर अवॉर्ड किया जाएगा।

24.0 अवॉर्ड करने संबंधी मानदंड

24.1 क्रेता/खरीदार उस बोलीदाता को ठेका अवॉर्ड करेगा जिसकी बोली, बोली दस्तावेजों के पर्याप्त अनुक्रियाशील निर्धारित की गई है और उपर्युक्त खंड 23 के अनुसरण में न्यूनतम मूल्यांकित बोली के रूप में निर्धारित की गई है बशर्ते कि बोलीदाता के पास ठेके को प्रभावी ढंग से पूर्ण करने की क्षमता और संसाधन हों।

25.0 किसी बोली को स्वीकार करने और किसी अथवा सभी बोलियों को अस्वीकार करने के लिए क्रेता/खरीदार का अधिकार

25.1 क्रेता/खरीदार के पास ठेका अवॉर्ड करने से पूर्व किसी भी समय किसी भी ई-बोली को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने, ई-बोली प्रक्रिया को रद्द करने और सभी ई-बोलियों को रद्द करने का

अधिकार है और ऐसा करने के लिए वह प्रभावित बोलीदाता अथवा बोलीदाताओं की देयता की ज़िम्मेदारी के लिए उत्तरदायी नहीं है अथवा अपनी कार्रवाई के लिए प्रभावित बोलीदाता अथवा बोलीदाताओं को सूचित करने के लिए बाध्य नहीं है।

26.0 अवॉर्ड की अधिसूचना

26.1 क्रेता/खरीदार द्वारा निर्धारित बोली वैधता की अवधि समाप्ती से पूर्व, क्रेता/खरीदार ई-मेल/पत्र द्वारा सफल बोलीदाता को सूचित करेगा और पंजीकृत पत्र द्वारा लिखित में यह पुष्टि करेगा कि उसकी बोली स्वीकार कर ली गई है। इस पत्र (इसमें इसके बाद और ठेके की शर्तों में 'अवॉर्ड की अधिसूचना'/'अवॉर्ड पत्र' कहा गया है) में ठेके (इसमें इसके बाद और ठेके की शर्तों में 'ठेका कीमत' कहा गया है) में यथानिर्धारित ठेकेदार द्वारा कार्य के निष्पादन, पूरा होने और रखरखाव पर विचार करते हुए उस राशि का उल्लेख किया जाएगा जो क्रेता/खरीदार द्वारा ठेकेदार को भुगतान की जाएगी। सफल बोलीदाता द्वारा 'अवॉर्ड की अधिसूचना'/'अवॉर्ड पत्र' प्राप्त होने के 5 दिन के भीतर उस पर हस्ताक्षर करके उसकी एक प्रति पावती के रूप में क्रेता/खरीदार को वापस भिजवाई जाएगी।

26.2 अवॉर्ड की अधिसूचना के आधार पर ठेका निर्धारित किया जाएगा।

27.0 सुपुर्दगी/ परिवहन (शिपमेंट) शर्तें

27.1 सभी उपकरण/सामग्री क्रय आदेश/एलओए में निर्धारित सुपुर्दगी अवधि के भीतर एफओआर गंतव्य आधार पर गंतव्य पर भेजे जाएंगे।

28.0 ठेका निष्पादन गारंटी (सीपीजी)/ प्रतिभूति जमाराशि (एसडी)

28.1 एक बार ठेका अवॉर्ड किए जाने पर सफल बोलीदाता से अनुरोध है कि वह ठेके के विश्वसनीय निष्पादन हेतु क्रेता/खरीदार से अवॉर्ड की अधिसूचना प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर ठेका निष्पादन गारंटी प्रस्तुत करें। यह गारंटी अनुलग्नक-II में उल्लिखित ठेका निष्पादन गारंटी, बैंक गारंटी के रूप में ठेका कीमत के 10% मूल्य के बराबर होगी। ठेका निष्पादन बैंक गारंटी ठेका समाप्त होने की तारीख के पश्चात 3 माह की अवधि के लिए वैध रहेगी।

28.2 बैंक गारंटी (क) किसी सार्वजनिक क्षेत्र बैंक अथवा (ख) किसी अनुसूचित भारतीय बैंक से जारी की जाएगी।

28.3 यदि सफल बोलीदाता खंड 26.1 की आवश्यकताओं का पालन करने में असफल रहता है तो ये अवॉर्ड को रद्द करने और बोली गारंटी को जब्त करने का पर्याप्त आधार होंगे। इस मामले में क्रेता खरीदार/अगले न्यूनतम मूल्यांकित बोलीदाता को कार्य अवॉर्ड कर सकता है अथवा नई बोलियां आमंत्रित कर सकता है।

28.4 ठेका निष्पादन गारंटी राशि बिना किसी शर्त के (चाहे वह कोई भी हो)स्वामी को देय होगी और ये गारंटियां अप्रतिसंहरणीय होंगी।

28.5 निष्पादन गारंटी में क्रेता/खरीदार के लिए निम्नलिखित गारंटी अतिरिक्त रूप से शामिल होंगी :

क) सफल बोलीदाता विनिर्देशों और दस्तावेजों के अनुसार ठेके के अंतर्गत बिना किसी नुकसान के जीआई पाइप के स्थान पर सीपीवीसी पाइप को सफलतापूर्वक और संतोषजनक रूप से पूरा करने/प्रतिस्थापित करने की गारंटी देता है।

b) The successful bidder further guarantees that the equipments/ materials operated and maintained by him shall be free from all defects in workmanship and shall upon written notice from the Owner, fully remedy, free of expenses to the Owner such defects as developed under the normal use of the said equipments and materials within the period of Warranty/Guarantee in the relevant clauses.

28.6 यदि ठेकेदार छोटे अनुरक्षण/आधुनिकीकरण कार्यों के लिए सीपीजी/एसडी जमा करने में असफल होता है तो पीएफसी द्वारा इसकी कटौती ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत प्रथम बिल से की जाएगी।

29. स्थानीय परिस्थितियां

29.1 प्रत्येक बोलीदाता के लिए यह अनिवार्य है कि वह विनिर्देशों और दस्तावेजों के अंतर्गत शामिल ठेके के निष्पादन पर प्रभाव डालने वाले सभी स्थानीय परिस्थितियों और घटकों से पूर्णतः अवगत रहें।

30.0 भुगतान शर्तें

30.1 भुगतान कार्य पूर्ण होने पर निर्धारित मद दरों के अनुसार किया जाएगा। महाप्रबंधक (ई एवं बीएम) द्वारा यथानिर्धारित कार्य पूर्ण होने के आधार पर ही ठेकेदार को आंशिक (पार्ट) भुगतान किया जाएगा। पीएफसी द्वारा भुगतान ई-बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा तथा सफल बोलीदाता द्वारा ई-बैंकिंग के माध्यम से भुगतान करने का ब्यौरा प्रदान किया जाएगा।

31.0 निरीक्षण-जाँच-परीक्षण

क्रय आदेश के अनुसार आपूर्तिकर्ता द्वारा स्वयं और/अथवा उसके उप-विक्रेता द्वारा विनिर्मित सभी सामग्री/उपकरण सभी चरणों और स्थानों पर विनिर्माण से पहले, के दौरान और विनिर्माण के पश्चात क्रेता/खरीदार अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निरीक्षण, जाँच और/अथवा परीक्षण के अध्यधीन होंगे।

क्रेता/खरीदार और/अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निरीक्षण अथवा सामग्री/उपकरण के निरीक्षण के लिए क्रेता और/अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के असफल होने से आपूर्तिकर्ता किसी उत्तरदायित्व अथवा देयता से मुक्त नहीं होगा।

32.0 आपूर्तिकर्ता के परिसर तक पहुँच (एक्सेस)

स्वामी और/अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को आदेश के लंबित रहने के दौरान कार्य की प्रगति में तेजी लाने, निरीक्षण, जाँच इत्यादि के लिए विक्रेता और/अथवा उसके उप-विक्रेता के परिसरों में किसी भी समय जाने का अधिकार प्रदान किया जाएगा।

33.0 अस्वीकृत सामान को हटाना और बदलना

यदि सुपुर्दगी होने पर, पहले से निरीक्षित और अनुमोदित अथवा अन्यथा, सामग्री/उपकरण विनिर्देशों के अनुरूप नहीं है तो उसे क्रेता/खरीदार अथवा उसके विधिवत् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाएगा और इस आशय की अधिसूचना कार्य/कार्यस्थल/कार्यालय में सामग्री प्राप्त होने की तारीख से सामान्यतः **30** दिनों के भीतर विक्रेता को जारी की जाएगी।

आपूर्तिकर्ता द्वारा अस्वीकृति के नोटिस के **15** दिनों के भीतर अस्वीकृत मदों को हटाने की व्यवस्था की जाएगी और ऐसा नहीं करने पर स्वामी इस प्रकार की अस्वीकृत मदों का किसी भी तरीके (जैसा वह उपयुक्त समझे) से निपटान करने के लिए स्वतंत्र होगा। आपूर्तिकर्ता को भुगतान किए गए धन सहित अस्वीकृत मदों को हटाने में स्वामी द्वारा व्यय किए गए सभी खर्चों की वसूली आपूर्तिकर्ता से की जाएगी।

34.0 आपूर्ति का स्रोत

विक्रेता यह सुनिश्चित करेगा कि इस आदेश के निष्पादन में पूर्णतया संभव सीमा तक स्वेदशी क्षमता का उपयोग किया जा रहा है। जहाँ आयात अपरिहार्य है, इस प्रकार की सभी मदें विक्रेता द्वारा ठेकेगत सुपुदर्गी तारीख/सुपुर्दगी अनुसूची को प्रभावित किए बिना अपने आयात लाइसेंस के निमित्त समय रहते आयात की जाएंगी।

35.0 पैकिंग और मार्किंग

35.1 सभी सामान रेल/सड़क/जल/वायु परिवहन के लिए उपयुक्त केसों/बंडलों/क्रेटों आदि में सुरक्षित ढंग से पैक किया जाएगा। सभी एक्सपोज्ड सर्विस/कनेक्शन/प्रोट्रूजनों को उचित रूप से संरक्षित किया जाएगा।

35.2 सभी एक्सपोज्ड भाग सावधानीपूर्व पैक किए जाएंगे और पैकेज पर "विथ केयर" लिखा होना चाहिए। रेल/सड़क/जल द्वारा ढुलाई किए जाने वाले सामान की पैकिंग उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार होगी और विक्रेता किसी अर्हक टिप्पणियों (क्वालीफाइंग रिमार्क्स) के बिना प्रेषिती के पक्ष में पक्का रेलवे/सामान प्राप्ति/लैंडिंग बिल/एयर वे बिल प्राप्त करेगा। सभी पैकेजों और बिना पैक की हुई सामग्री पर कम से कम दो स्थानों पर क्रेता/खरीदार, प्रेषिती का नाम, क्रय आदेश संख्या, कुल और निवल भार और आकार का उल्लेख अंग्रेजी में इंडेलिबल पेंट से

मार्क किया जाएगा। बंडलों के मामले में, उपर्युक्त विवरण वाली मैटेलिक प्लेट ऐसे प्रकार के बंडलों पर लगाई जाएंगी।

35.3 सारा सामान क्रय आदेश की संबंधित शर्तों के अनुसार प्रेषित किया जाएगा। यदि क्रय आदेश में उल्लिखित परिवहन साधन के अतिरिक्त किसी अन्य परिवहन साधन का उपयोग किया जाता है तो ऐसा केवल क्रेता/खरीदार से लिखित में पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही किया जाएगा रेलवे प्राधिकारियों से सभी संचलनों, मंजूरी, लदान अनुमति आदि विक्रेता द्वारा प्राप्त की जाएगी।

35.4 विक्रेता क्रय आदेश में विनिर्दिष्ट अनुसार फैक्स तार द्वारा/टेलेक्स/डिस्पैच के तत्काल बाद डिस्पैच संबंधी ब्यौरा प्रेषिती को सूचित करेगा। विक्रेता डिस्पैच की तारीख से दो दिन के भीतर क्रय आदेश में यथापेक्षित डिस्पैच के मूल दस्तावेज और प्रतियां भी संबंधित प्राधिकारियों को भेजेगा। ऐसा न करने पर दस्तावेज नहीं होने कारण उस प्रेषण के लिए भुगतान में किसी विलंब के लिए और बाद के विलंब प्रभार और वारफेयर और रोके रखने के प्रभार आदि के लिए विक्रेता जिम्मेदार होगा।

36.0 वारंटी/डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड

आपूर्ति किए गए प्रोजेक्टरों के लिए डिफेक्ट लाइबिलिटी अवधि (पीरियड) कार्य के पूरा होने की तारीख से 6 माह तक है। इस दौरान आने वाली समस्या को ठेकेदार को देखना होगा और उसका समाधान करने के लिए अपने खर्चे पर सुधारात्मक कार्रवाई करनी होगी।

37.0 कार्य पूरा करने में विलंब के लिए परिनिर्धारित नुकसान

37.1 समय-सीमा बढ़ाने की लिखित अनुमति सहित, सुपुर्दगी कार्य अनुसूची की निर्धारित तारीख के बाद आदेश के निष्पादन में किसी भी विलंब के मामले में स्वामी के पास विक्रेता से विलंब के प्रत्येक सप्ताह के लिए अवॉर्ड की गई ठेका मूल्य के 0.5% (आधा प्रतिशत) के समतुल्य राशि और उसके भाग के रूप में आदेश के कुल मूल्य के अधिकतम 5% वसूलने का अधिकार है।

37.2 वैकल्पिक रूप से, क्रेता/खरीदार के पास विक्रेता के जोखिम और लागत पर कहीं ओर से सामग्री/उपकरण खरीदने और उपर्युक्त प्रक्रिया द्वारा सामग्री खरीदने में क्रेता/खरीदार द्वारा खर्च की गई सभी अतिरिक्त लागत वसूलने का अधिकार है।

37.3 वैकल्पिक रूप से, क्रेता/खरीदार उपर्युक्त विकल्पों के अंतर्गत अपने अधिकार के प्रति पूर्वाग्रह के बिना आदेश को पूरी तरह से रद्द कर सकता है।

38.0 विलंब शुल्क, युद्ध आदि

डिस्पैच दस्तावेजों के विलंब समझौते (निगोशिएशन) अथवा विक्रेता के कारण प्रेषण के गंतव्य (रेलवे गोदाम अथवा पत्तन (पोर्ट) अथवा हवाई अड्डे अथवा सीडब्ल्यूसी गोदाम) पर पहुँचने के

पश्चात किए गए विलंब शुल्क, युद्ध या अन्य व्यय के लिए विक्रेता/ विक्रेता का भारतीय एजेंट जिम्मेदार होगा।

39.0 अप्रत्याशित स्थिति **(Force Majeure)**

39.1 अप्रत्याशित स्थिति **(Force Majeure)** की परिभाषा

अप्रत्याशित स्थिति से अभिप्राय किसी भी ऐसी परिस्थिति से है जो पक्षकारों के नियंत्रण से बाहर परंतु निम्नलिखित तक सीमित नहीं है:

क) युद्ध और अन्य विरोध (चाहे युद्ध घोषित किया गया हो अथवा नहीं), आक्रमण, विदेशी शत्रुओं की कार्यवाही, आंदोलन, मांग अथवा प्रतिबंध।

ख) नाभिकीय ईंधन के दहन से उत्पन्न किसी नाभिकीय अपशिष्ट अथवा किसी नाभिकीय ईंधन से रेडियोएक्टिविटी द्वारा आयोनाइजिंग रेडिएशन अथवा कंटेमिनेशन, रेडियोएक्टिव टॉक्सिक विस्फोटक अथवा किसी विस्फोटक नाभिकीय असेंबली अथवा नाभिकीय कंपोनेंट की अन्य जोखिमपूर्ण प्रोपर्टीज।

ग) विद्रोह, क्रांति, राजद्रोह, सैन्य अथवा सत्ता हथियाना और गृह युद्ध।

घ) दंगे, हंगामा, उपद्रव, उनको छोड़कर जो केवल ठेकेदार के कर्मचारियों से जुड़े हों।

40.0 विनिर्देश, ड्राइंग एवं डाटा

आदेश की गई मदों के संबंध में सभी ड्राइंग, डाटा और प्रलेखन कार्य आदेश का महत्वपूर्ण भाग हैं। विक्रेता इस प्रकार की सभी ड्राइंग, डाटा और प्रलेखन पीएफसी को देगा। विक्रेता द्वारा इन दस्तावेजों के प्रस्तुत करने का नियत समय और अपेक्षित प्रतियों की संख्या पीएफसी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी। विक्रेता यह सुनिश्चित करेगा कि नियत समय का सख्ती से अनुपालन हो।

41.0 संवर्द्धन/ परिवर्तन/ संशोधन

स्वामी के पास क्रय आदेश के -+**15%** मूल्य की सीमा तक क्रय आदेश की मदों की मात्रा में संवर्द्धन/परिवर्तन/संशोधन करने का अधिकार है। स्वामी द्वारा इस प्रकार के विकल्प का प्रयोग क्रय आदेश के अंतर्गत आपूर्तियों को पूरा करने से पहले किया जाएगा। विक्रेता इस तरह की मात्रा भी उसी दर पर आपूर्ति करेगा, जो मूल रूप से क्रय आदेश में सहमत और निर्धारित है। तथापि, यदि अतिरिक्त कार्य में डिजाइन, आकार और विनिर्देशों में अंतर है और क्रय आदेश अथवा उसमे किए गए संशोधनों में पहले से शामिल नहीं है तो इस प्रकार के अतिरिक्त कार्य की दर बातचीत और पारस्परिक सहमति से निर्धारित की जाएगी।

42.0 किराए पर देना

विक्रेता क्रेता/खरीदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना इस आदेश के किसी भाग को किराए पर, स्थानांतरित अथवा उसे निर्धारित नहीं करेगा। उप-ठेके आदेश की प्रतियां क्रेता को भी भेजी जाएंगी।

43.0 क्रेता/खरीदार द्वारा दी गई सूचना

आदेश के निष्पादन के लिए क्रेता द्वारा विक्रेता को दी गई सभी ड्राइंग, डाटा और दस्तावेज क्रेता की संपत्ति होगी। क्रेता के आदेश के निष्पादन के प्रयोजन को छोड़कर विक्रेता किसी भी समय किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपर्युक्त किसी भी दस्तावेज का प्रयोग नहीं करेगा। विक्रेता किसी व्यक्ति, फर्म, निगमित निकाय और/अथवा प्राधिकारी को उपर्युक्त सूचना नहीं बताएगा और यह सुनिश्चित करने के सभी प्रयास करेगा कि उपर्युक्त सूचना गोपनीय रखी गई है।

44.0 पेटेंट अधिकार

कार्य के निष्पादन में प्रयोग की गई सामग्री/उपकरण अथवा प्रक्रिया को शामिल करते हुए पेटेंट के लिए रॉयल्टी और फीस विक्रेता के कारण होगी। विक्रेता ऐसी सभी मांगों को पूरा करेगा जो इस प्रकार की रॉयल्टी और फीस के लिए कभी भी की जा सकती हैं और वह अकेला क्षति एवं उल्लंघ्न के लिए देय होगा ओर इस संबंध में खरीद की क्षतिपूर्ति करेगा। विक्रेता द्वारा आपूर्ति किए गए किसी उपकरण/सामग्री अथवा उसके किसी भाग के किसी मुकदमें में शामिल होने अथवा अन्य कार्यवाही जिससे अतिक्रमण होता है और इसका अतिक्रमण किया जाता है तो विक्रेता अपने खर्चे पर क्रेता के लिए खरीदने, इस प्रकार के उपकरणों/सामग्री का प्रयोग करते रहने अथवा इस अनतिक्रमणीय बन सके, का अधिकार होगा।

45.0 विनियमों का अनुपालन

विक्रेता यह गारंटी देगा कि क्रय आदेश द्वारा शामिल किए गए सभी सामान और सेवाओं का उत्पादन, विक्रय, प्रेषण, वितरण, परीक्षण और स्थापना कर ली गई है और यह समय-समय पर यथालागू उद्योग (विकास एवं विनियम) अधिनियम 1951 और तकनीकी कोड एवं आवश्यकताओं सहित सभी लागू कानूनों और विनियमों के सख्त अनुपालन में हैं।

विक्रेता अनुपालन के साक्ष्य में क्रेता द्वारा यथाअपेक्षित दस्तावेजों का निष्पादन करेगा और दस्तावेजों को सुपुर्द करेगा। क्रय आदेश द्वारा शामिल किए जाने वाले अपेक्षित सभी कानून और विनियम इस संदर्भ द्वारा एतद्द्वारा शामिल माने जाते है। आदेश के निष्पादन में किसी भी कानून के उल्लंघन से उत्पन्न होने वाली कोई देयता के लिए एकमात्र ज़िम्मेदारी विक्रेता की होगी।

46.0 ठेकेदार की चूक

46.1 चूक (डिफ़ाल्ट) नोटिस

यदि ठेकेदार ठेके के अनुसार कार्य निष्पादन नहीं करता है अथवा उसके अंतर्गत अपने दायित्वों का निष्पादन करने में अवहेलना करता है जिसके परिणामस्वरूप कार्य पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है, तब क्रेता/खरीदार इस प्रकार की विफलता अथवा अवहेलना को सही करने के लिए ठेकेदार को नोटिस दे सकता है।

46.2 ठेकेदार की चूक (डिफ़ाल्ट) की प्रकृति

यदि ठेकेदार :

क) उप-खंड 46.1 के अंतर्गत नोटिस के साथ उचित समय के भीतर अनुपालन करने में असफल रहता है, अथवा

ख) नियोक्ता की लिखित सहमति के बिना संपूर्ण कार्य का ठेका अथवा उप-ठेका देता है, अथवा

ग) दिवालिया अथवा दिवालियापन हो जाता है और उसके खिलाफ रिसीविंग ऑर्डर दिया गया है अथवा ऋणदाताओं से समझौता करता है (Compounds with his creditors) और अपने ऋणदाताओं के लाभ के लिए रिसीवर, ट्रस्टी अथवा प्रबंधक के अधीन कारोबार करता है अथवा परिसमाप्त हो जाता है।

क्रेता/खरीदार ठेकेदार को 15 दिन की नोटिस देने के बाद ठेके को समाप्त कर सकता है और ठेकेदार को कार्यस्थल से निष्कासित कर सकता है।

ठेके के अंतर्गत इस प्रकार का कोई निष्कासन और समाप्ति क्रेता/खरीदार अथवा ठेकेदार के अन्य अधिकारों अथवा शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

इस प्रकार की समाप्ति होने पर क्रेता/खरीदार स्वयं अथवा किसी अन्य ठेकेदार द्वारा कार्य को पूरा करा सकता है। क्रेता/खरीदार अथवा ऐसे अन्य ठेकेदार कार्यस्थल पर ठेकेदार के उपकरण को कार्य पूरा करने के लिए उपयोग कर सकता है, जिसे वह अथवा वे उचित समझें और क्रेता/खरीदार ऐसे उपयोग के लिए ठेकेदार को उचित कीमत देगा।

46.3 समाप्ति की तारीख का मूल्यांकन

क्रेता/खरीदार इस प्रकार की समाप्ति के पश्चात यथाशीघ्र कार्यों के मूल्य और समाप्ति की तारीख को ठेकेदार को उस समय देय सभी राशियों को प्रमाणित करेगा।

46.4 समाप्ति के पश्चात भुगतान

क्रेता/खरीदार कार्य पूरा होने तक ठेकेदार को और कोई भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। जब कार्य जितना पूरा होता है**,** तब क्रेता/खरीदार कार्य पूर्ण होने पर उप-खंड **46.3** के अंतर्गत ठेकेदार को देय राशि का भुगतान करने के पश्चात कार्य पूरा करने हेतु दी गई अतिरिक्त लागत को (यदि कोई हो) ठेकेदार से वसूल करने का हकदार होगा। यदि इस प्रकार की कोई अतिरिक्त लागत नहीं है तो क्रेता/खरीदार ठेकेदार को देय शेष राशि का भुगतान करेगा।

46.5 विलंब हेतु देयता पर प्रभाव

खंड 34 के अंतर्गत ठेकेदार का दायित्व तुरंत समाप्त हो जाएगा जब क्रेता/खरीदार उसे इस निमित्त पहले से पूरा किए गए दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कार्यस्थल से निष्कासित करता है।

47.0 विक्रय परिस्थितियां

आदेश में दोनों पक्षकारों के बीच एक संपूर्ण समझौता शामिल होगा। विक्रेता द्वारा क्रय आदेश के प्रावधानों की स्वीकृति के साथ ही वह इस सामान्य/विशेष विक्रय परिस्थितियों की किसी भी परिस्थिति को निलंबित के तौर पर छोड़ देता है अथवा विचार करता है।

48.0 रद्द करना

स्वामी के पास एक सप्ताह का अग्रिम नोटिस देते हुए आदेश को आंशिक रूप से अथवा पूरी तरह से रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है यदि :

क) विक्रेता आदेश की किसी शर्त का पालन करने में असफल रहता है;

ख) विक्रेता दिवालिया हो जाता है अथवा परिसमाप्त हो जाता है;

ग) विक्रेता ऋणदाताओं के लाभ के लिए सामान्य कार्य करता है; और

घ) विक्रेता द्वारा खरीदी गई परिसंपत्ति के लिए कोई रिसीवर नियुक्त किया जाता है।

49.0 विवाद और विवाचन

49.1 ठेके से संबंधित अथवा उसके अंतर्गत किसी भी असहमति अथवा विवाद के लिए क्रेता/खरीदार और आपूर्तिकर्ता सीधे अनौपचारिक बातचीत के जरिए सौहार्दपूर्ण ढंग से समाधान करने का प्रयास करेंगे।

49.2 यदि इस प्रकार की बातचीत के शुरू होने के के 30 (तीस) दिन के बाद क्रेता/खरीदार और आपूर्तिकर्ता किसी ठेके विवाद का सौहार्दपूर्ण समाधान करने में असमर्थ रहते हैं तो किसी भी पक्षकार से अपेक्षा है कि विवाद को समाधान के लिए नीचे दिए गए विनिर्दिष्ट औपचारिक तंत्र को भेजे।

49.3 लागू किया जाने वाला विवाद समाधान तंत्र निम्नानुसार होगा:

क) क्रेता/खरीदार और बोलीदाता के बीच विवाद होने पर भारतीय कानून के अनुसार उसे अधिनिर्णय/विवाचन हेतु भेजा जाएगा।

49.4 विवाचक (विवाचकों) द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम निर्णय होगा।

49.5 कार्य जारी रखना

जब तक क्रेता/खरीदार निलंबन का आदेश नहीं करता तब तक विवाचन कार्यवाही के दौरान ठेके का निष्पादन जारी रहेगा। यदि इस प्रकार का कोई निलंबन आदेश दिया जाता है तो ठेकेदार द्वारा खर्च की गई औचित्यपूर्ण लागत और इसके कारण उत्पन्न हुई लागत को ठेके कीमत में जोड़ा जाएगा।

49.6 विवाचन के लंबित रहने के कारण क्रेता/खरीदार द्वारा देय अथवा बकाया भुगतान को रोका नहीं जाएगा।

50.0 कानून और प्रक्रिया

50.1 लागू कानून

वह कानून जो ठेके पर लागू होगा और जिसके अंतर्गत ठेका बनाया जाएगा वह भारतीय कानून होगा। विवाचन अवॉर्ड के निष्पादन सहित ठेके में उत्पन्न सभी मामलों के लिए अनन्य अधिकार क्षेत्र दिल्ली न्यायालयों के पास होगा।

50.2 निबंधन एवं शर्तें स्वीकार करना

बोलीदाता द्वारा इसमें उपर्युक्त निबंधन और शर्तों एवं संलग्न दस्तावेजों के लिए अपनी स्वीकृति की पुष्टि की जाएगी। यदि बोलीदाता को कोई खंड स्वीकार नहीं है तो उसे बोली प्रस्ताव शीट में दी गई विचलन अनुसूचियों में विशेष रूप से दर्शाना होगा और साथ ही यह स्पष्ट पुष्टि की जाएगी कि अन्य सभी खंड बोलीदाता को स्वीकार हैं। यदि इस संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया जाता है तो यह मान लिया जाएगा कि इसमे उपर्युक्त सभी खंड बोलीदाता को स्वीकार हैं।